ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3894/2004/भरतपुर उदयराम बनाम यादी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ श्री इन्द्र सिंह राव, सदस्य उपस्थितः– श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। –– निर्णय दिनांकः 11–6–2018 यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर द्वारा प्रकरण सं0 28/2004 में पारित किए गए आदेश दिनांक 21–08–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र को 300/– रू0 कॉस्ट पर स्वीकार कर मूल वाद को पुनः नंबर पर लिए जाने का आदेश दिया। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि यह बात मानने योग्य नहीं है कि वादी को 9 वर्ष तक उसके वाद खारिज होने का ज्ञान नहीं था व इतने लम्बे समय की देरी को बिना किसी आधार के क्षम्य कर वाद को पुनः नंबर पर लेने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक सिद्धांतो की स्पष्ट अवहेलना की है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का संदर्भ देते हुए निवेदन किया कि यदि कोई पक्षकार लम्बे समय तक अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर वाद की स्थिति ज्ञात नहीं करता तो ऐसे	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3894/2004/भरतपुर उदयराम बनाम यादी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लापरवाह पक्षकार को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती तथा वह न्यायालय से कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं रहता। उनका तर्क है कि मात्र कॉस्ट लगा देने से प्रभावित पक्षकार को हुई क्षति की भरपाई नहीं की जा सकती। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने 2000 डब्ल्यू एल सी पेज 38 का सहारा लेते हुए तर्क दिया कि बिना समुचित कारण के विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित नहीं है। इसी प्रकार 1997 सुप्रीम कोर्ट कैसेज पार्ट 7 पेज 556 का सहारा लेते हुए तर्क दिया कि किसी प्रकरण में विलम्ब उल्लंघन कीी समय सीमा की छूट नहीं जा सकती। यदि वह न्यायालय शक्तियों का प्रयोग करता है तो उन्हें पर्याप्त कारणों का उल्लेख करना चाहिए। डी0एन0जे0 2002 पार्ट द्वितीय पेज 708, जो कि आदेश 9 नियम 9 व आदेश 41 नियम 19 के संबंध में है, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पश्चातवर्ती वाद पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। दावा में प्रतिपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित थे, जिन्होंने 9 वर्ष पश्चात् जवाब पेश किया इसके अलावा 9 वर्ष में ऐसी भौतिक परिस्थितियाँ विकसित हो जाती है, उन्हें पुर्नस्थापित नहीं किया जा सकता। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है, अतः निगरानी स्वीकार की जावें व आक्षेपित आदेश निरस्त किया जावें। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं पेश किए गए न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, जिनसे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि यह प्रकरण अत्यधिक विलम्ब की श्रेणी में आता है तथा प्रकरण पर योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3894/2004/भरतपुर उदयराम बनाम यादी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पेश किए गए न्यायिक दृष्टांता पूर्णतया चस्पा होते है, क्योंकि यह बात नहीं मानने योग्य नहीं है कि वादी को 9 वर्ष तक उसके वाद खारिज होने का कोई ज्ञान नहीं था व इतने लम्बे समय की देरी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के क्षम्य कर वाद को पुनः नंबर पर लेने का आदेश पारित किया है, जिसे हम उचित नहीं पाते है। हमारी राय में प्रकरण में वादी की लापरवाही स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, जिसे किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान किया जाना उचित नहीं है। अतः हम निगरानी को स्वीकार किया जाना न्यायसंगत समझते है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर द्वारा प्रकरण सं0 28/2004 में पारित आदेश दिनांक 21–08–2004 खारिज किया जाता है। निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्ता प्रार्थी को दी जावें व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ भिजवाया जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (इन्द्र सिंह राव) सदस्य	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3894/2004/भरतपुर उदयराम बनाम यादी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए